पश्चिम मध्य रेल, प्रधान कार्यालय कार्मिक विभाग, जबलपुर–482001	पश्चिम मध्य रेल	West Central Railway Headquarters Office Personnel Branch, Jabalpur-482 001
पत्र क.–पमरे / का.मुख्या / राज. / Engg.-S&T-Elect./Re-engagement		दिनांक 27.02.2024

अधिसूचना

रेलवे बोर्ड के पत्र सं.2021/W-I/Genl/Gati Shakti/Pt(e-3397961) दिनांक 20.02.2023 के आलोक में निर्माण संगठन में कार्यों के संचालन हेतु इंजीनियरिंग, संकेत एवं दूरसंचार तथा विद्युत् विभाग के लिए रेल सेवा से सेवानिवृत्त अधिकारियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्तियों का विवरण निम्नानुसार है–

S.N.	Department	Requirement	No. Required	Initial Location
01	Engineering Construction	Sr. Scale/ Jr. Scale Gr. 'B' Officer	01	Jabalpur
		Sr. Scale/ Jr. Scale Gr. 'B' Officer	01	Bhopal
		Sr. Scale/Jr. Scale Gr. 'B' Officer	01	Kota
02	S & T Construction	Sr. Scale /Jr. Scale Gr. 'B' Officer	01	Jabalpur
03	Electrical Construction	Sr. Scale/Jr. Scale Gr. 'B' Officer	01	Jabalpur
Total			05	

आवेदन हेतु शर्तेः–

1. आवेदन हेतु रेल सेवा से सेवानिवृत्त राजपत्रित अधिकारियों की आयु अधिसूचना जारी होने की तिथि को 65 वर्ष से कम होनी चाहिए । पुनर्नियोजन के लिए अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष होगी एवं यदि सेवानिवृत्त अधिकारी 65 वर्ष की आयु पुनर्नियोजन अवधि पूर्ण होने से पूर्व प्राप्त कर लेता है तब सेवानिवृत्त राजपत्रित अधिकारियों की सेवा स्वतः समाप्त हो जाएगी।
2. पुर्ननियोजन की अवधि प्रारंभिक तौर पर 01 वर्ष होगी।
3. कार्मिक विभाग द्वारा रेल सेवा से सेवानिवृत्त राजपत्रित अधिकारियों को पुनर्नियोजित करने हतु आवेदन प्राप्त किए जाएगें।
4. पुनर्नियोजित रेल सेवा के लिए सेवानिवृत्त राजपत्रित अधिकारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति / अनिवार्य सेवानिवृत्ति / रेल सेवा से निष्कासित एवं बर्खास्त के अधीन सेवा निवृत्त नहीं होना चाहिए।
5. रेल सेवा से सेवानिवृत्त राजपत्रित अधिकारियों का पुनर्नियोजन चिकित्सीय सक्षमता परीक्षा के बाद निर्णीत होगा।
6. पुनर्नियोजन हेतु रेल सेवा से सेवानिवृत्त राजपत्रित अधिकारियों की उपयुक्तता उनके सेवा रिकार्ड,APAR तथा Interview के आधार पर जॉची जाएगी।
7. उल्लेखित मापदण्डों एवं उपयुक्तता के आधार पर प्राप्त आवेदनों को नामित अधिकारियों की समिति द्वारा जांच कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरांत पुनर्नियोजन संबंधी निर्णय लिया जाएगा।
8. रेल सेवा से सेवानिवृत्त राजपत्रित अधिकारियों को पमरे के निर्माण संगठन के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत जहां भी प्रशासन चाहेगा कार्य हेतु लगाया जा सकता है।
9. पुनर्नियोजित रेल सेवा से सेवानिवृत्त राजपत्रित अधिकारियों की सेवा को सक्षम अधिकारियों की अनुमति से बिना किसी नोटिस के समाप्त किया जा सकता है। पुनर्नियोजन की अवधि रेलवे बोर्ड के प्राप्त दिशा–निर्देशों के अधीन रहेगी।
10. रेल सेवा से सेवानिवृत्त राजपत्रित अधिकारियों के पुनर्नियोजित अवधि के मासिक पारिश्रमिक का निर्धारण उसकी पेंशन को उसके अंतिम आहरित वेतन (अर्थात् मूल वेतन + डीए) से घटाकर किया जाएगा, नियमानुसार मासिक आधार पर सामान्य आयकर की कटौती की जाएगी।

11. पुनर्नियोजित सेवानिवृत्त रेल अधिकारियों का वेतन, छुट्टियां, देय भत्ते आदि प्रचलित रेलवे बोर्ड तथा मुख्यालय के दिशा–निर्देशों के अधीन रहेगा।
12. आवेदन अनुलग्नक–ए के रूप में संलग्न प्रोफार्मा में किए जाने चाहिए।

आवेदन के लिए आवश्यक स्व–सत्यापित दस्तावेज संलग्न करें:–

1. सेवा प्रमाण–पत्र।
2. पेंशनभोगी पहचान–पत्र।
3. पेंशन भुगतान आदेश।
4. बैंक की पासबुक का प्रथम पृष्ठ जिसमें खाता संख्या एवं आईएफएससी कोड दर्शाया गया हो।
5. आधार कार्ड।
6. पैन कार्ड।
7. तीन पासपोर्ट साइज फोटो।

इच्छुक रेल सेवानिवृत्त राजपत्रित अधिकारी **दिनांक : 11.03.2024** तक अपना आवेदन संबंधित आवश्यक दस्तावेजो के साथ राजपत्रित अनुभाग (कार्मिक) मुख्यालय पमरे जबलपुर में जमा कर सकते हैं तथा इसके अतिरिक्त आवेदन ई–मेल (dycpogwcr@gmail.com) के माध्यम से प्रेषित कर सकते हैं।

सभी संबंधित विभागाध्यक्ष/शाखा अधिकारियों एवं सभी डिपो सुपरवाईजरों से अनुरोध है कि उपरोक्त अधिसूचना का अधिक से अधिक प्रचार–प्रसार करें तथा अधीनस्थ कार्यरत इच्छुक रेल सेवा से सेवानिवृत्त राजपत्रित अधिकारियों का आवेदन प्राप्त कर उपमुकाधि/राज., मुख्यालय, पमरे, जबलपुर को अग्रेषित करें।

अधिसूचना हेतु विज्ञापन अखबार में जारी किया रहा है तथा इसकी विस्तृत सूचना पमरे की वेबसाईट (https://wcr.indianrailways.gov.in/) एवं पश्चिम मध्य रेल के रेलनेट वेबसाईट http://10.150.2.19/ पर भी उपलब्ध है।

अन्य किसी जानकारी/पूछंताछ के लिए ई–मेल (dycpogwcr@gmail.com) , Railway Phone No- 54737, 54717 & Mobile No.7701082652 पर संपर्क किया जा सकता है।

संलग्न:– आवेदन का प्रारूप एवं घोषणा–पत्र।

27.02.2024

(राहुल श्रीवास्तव)
उप मुकाधि/राज.
कृते प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी
पमरे/जबलपुर

प्रति निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख मुख्य इंजीनियर , प्रमुख मुख्य संकेत एवं दूरसंचार इंजीनियर, प्रमुख मुख्य विद्युत् इंजीनियर, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण) – पश्चिम मध्य रेल, जबलपुर
2. मंडल रेल प्रबंधक– जबलपुर, भोपाल, कोटा
3. वरि. मंडल कार्मिक अधिकारी– जबलपुर, भोपाल, कोटा
4. उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण)– जबलपुर, भोपाल, कोटा
5. मुख्य जनसंपर्क अधिकारी/पमरे/जबलपुर : को विज्ञापन हेतु अखबार में जारी करने का अनुरोध है।

आवेदन का प्रारुप

अनुलग्नक–ए

हाल ही का खिंचा गया फोटो (तीन माह से पुराना न हो)

1. राजपत्रित अधिकारी के रेल सेवा से सेवानिवृत्त होने की तिथि ....
2. आवेदक का नाम ....
3. पिता का नाम ....
4. सेवानिवृत्ति के समय पदनाम तथा विभाग ....
5. भविष्य निधि संख्या ....
6. स्टेशन(अंतिम पदस्थापना) ....
7. अंतिम वेतनमान(लेवल) ....
8. अंतिम आहरित वेतन (बेसिक पे) ....
9. जन्म तिथि ....
10. भर्ती तिथि ....
11. शैक्षणिक योग्यता ....
12. स्थायी पता ....

    ....
13. जाति (सा.,अजा., अजजा.,अपिव) ....
14. पी.पी.ओ. न. ....
15. कुल सेवा काल ....
16. 65 वर्ष पूर्ण करने की तिथि ....
17. बैंक विवरण

बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी

18. पैन कार्ड नम्बर ....
19. आधार कार्ड नम्बर ....
20. मोबाईल नम्बर /ई मेल ....

(आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर)

घोषणा पत्र

विषयः– रेल सेवा से सेवानिवृत्त राजपत्रित अधिकारियों को पमरे के र्निमाण संगठन हेतु रेल सेवा में पुनर्नियोजित करने बाबत्।

––––00––––

पश्चिम मध्य रेलवे की र्निमाण संगठन में पुनर्नियोजन हेतु मेरे आवेदन के संदर्भ में मैं ....एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि मेरे खिलाफ कोई डी एण्ड आर और सतर्कता मामले लंबित नहीं है, मैं एतद् द्वारा पुष्टि करता हूँ और घोषणा करता हूँ कि ऊपर दिए गए विवरण सत्य और सही है। किसी भी गलत जानकारी को प्रस्तुत करने के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा और इसके लिए मेरी पुनर्नियोजन सेवा समाप्त की जा सकती है।

मुझे ज्ञात है कि :–

1. पुनर्नियोजन के लिए अधिकतम आयु 65 वर्ष है। मैं दिनांक ....को 65 वर्ष पूर्ण कर लूंगा और इस तिथि के बाद सेवा जारी रखने के लिए कोई दावा प्रस्तुत नहीं करुंगा।
2. बिना कारण बताये किसी भी समय रेलवे यह व्यवस्था समाप्त कर सकती है या यदि पुनः नियुक्त अधिकारी मानसिक या शारीरिक रुप से विकलांग पाया जाता है।
3. पुनर्नियोजित सेवानिवृत्त राजपत्रित अधिकारियों प्रशासनिक कार्य जैसे कर्मचारी की छुट्टी की स्वीकृति का कार्य नहीं करेगा।
4. पुनर्नियोजित सेवानिवृत्त राजपत्रित अधिकारियों के पास कोई बित्तीय एवं डी एण्ड आर की शक्ति नहीं होगी।
5. मैं रेलवे बोर्ड के नियमों और शर्तों तथा भारतीय रेल द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश के अधीन पुनर्नियोजन के लिए तैयार हूँ।

मेरा अंतिम आहरित वेतन रुपया............................था और वर्तमान में मैं मासिक पेंशन रुपया ....पा रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि दैनिक भत्ता और पूरी पेंशन अंतिम आहरित वेतन से अधिक नहीं होगा।

प्रार्थी

हस्ताक्षर ....

नाम ....

मो. न. ....

पता ....